न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 139/2017

1. नत्थूराम | पिसरान मनीराम जाति मेघवाल निवासी प्रतापपुरा तह0 सादुलशहर
2. बलवंतराम | जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. पूर्णराम | पिसरान मनीराम जाति मेघवाल निवासी प्रतापपुरा तहसील
2. जवाहरीलाल | सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 06.09.2017

उपस्थित—

श्री भजनलाल टाक अभिभाषक अपीलार्थी

श्री दिनेश छाबडा अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 19.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/वादीगण/रेस्पों. ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ मनीराम के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट पेश कर कथन किया कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे चक 18 के.आर.डब्ल्यू. प.नं. 68/148 मु.नं. 27 कि.नं. 24, प.नं. 68/147 मु.नं. 34 कि.नं. 3, 5 की कुल 0.759है0 भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल अपने नाम करवाने, रहन, बैय आदि से हस्तांतरण करने एवं वादीगण के हिस्सा की भूमि पर अतिक्रमण करने से,

19/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

खुर्द–बुर्द करने से बाज व ममनू रहें एवं रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाए रखे।

अप्रार्थीगण ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार एवं मालिक हैं। प्रार्थीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 06.09.2017 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय ने विवादित भूमि स्वअर्जित मानकर प्रा.पत्र खारिज किया है जबकि इसका निर्णय तो दावे में होगा। विवादित भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। अपीलांट का हर प्रकार से मामला बनता था फिर भी प्रा.पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट का प्रा.पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों. अभिलिखित खातेदार हैं जिनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 06.09.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा.पत्र खारिज किया है जबकि विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा है। अतः अधी. न्यायालय का आदेश अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, विवादित आराजी अपीलांट एवं रेस्पों. की विरासत आधारित संयुक्त खाते की भूमि थी जिसका बंटवारा होकर राजस्व अभियान 2006 में नामांतरण संख्या 219 द्वारा सभी सह खातेदारों के अलग–अलग खाते कायम किये जिसमें सीता बेवा मनीराम कौम

19/2/16
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

मेघवाल सा0 प्रतापपुरा को चक 18 के.आर.डब्ल्यू. के मु.नं. 27 के कि.नं. 24 का 0.253है0 रकबा व मु.नं. 34 के कि.नं. 3 का 0.253है0 व कि.नं. 5 का 0.253है0 कुल 0.759है0 भूमि प्राप्त होने से उपरोक्त नामान्तरणकरण सं. 219 स्वीकृत होकर इसी अनुसार संदर्भ जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में अंकन हुआ जो पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी की सत्यापित प्रति पी. 35 के क.सं. 1861 द्वारा जारी हुई है से प्रमाणित है। अतः खाता विभाजन पश्चात विवादित आराजी जो सीतो पत्नी मनीराम के नाम आई उसे सीतो अपने जीवनकाल में राज.काश्त.अधि.1955 की धारा 42 में निहित प्रावधानों एवं प्रतिबंधों के अनुसार हस्तांतरण करने के लिए कानून की निगाहों में स्वतंत्र एवं सक्षम है। इसी अनुरूप सीतो ने अपने खाते की भूमि बहक पूर्णराम व जवाहरीलाल को दान की है जिसमें अपीलांट की कोई कानूनी Locus-standai नहीं है। इसी अनुरूप अधी. न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर